न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—311/2019/225 (2019/00311)

1. सज्जन सिंह पुत्र उगमा, जाति रावत, निवासी अंसरी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भागू पुत्र अन्ना,,
2. पीथा पुत्र अन्ना,
3. हरिसिंह पुत्र चन्द्रा,
4. रेवता पुत्र चन्द्रा,
5. कैलाश पुत्र चन्द्रा,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम अंसरी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 10.5.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 2/2018.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 10.5.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने रेस्पो0 संख्या 6 के विरूद्ध अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अंसरी, तहसील नसीराबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 1158, 1559, 1160, 1233, 1438 के प्रार्थीगण एवं उनका परिवार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हाकर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त आराजी पर आने जाने के लिए ग्राम अंसरी के हाल खसरा नंबर 1230, 1241, 1232 सिवायचक आराजी में से उत्तर से दक्षिण रेस्पो0 एवं उनका परिवार आने जाने के लिए उपयोग व उपभोग करते है । उक्त आराजी खसरा नंबर के अलावा रेस्पो0 व उनके परिवार के लिए आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता या मार्ग नही है तथा राजस्व रिकार्ड मानचित्र में कोई रास्ता अंकित नहीं है । इसलिये ग्राम अंसरी के खसरा नंबर 1230, 1241, 1232 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगएण/रेस्पो0 की आराजी तक दिलाया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 10.5.2019 को स्वीकार कर अपीलाधीन

रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अधी0न्याय0 में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीालंट सहखतेदारी के खसरा नंबर 1233 व 1159 में दिये गये रास्ते का अपीलांट सहखातेदार है व सिवायचक खसरा नंब 1234 के कुछ भाग पर अपीलांट का रहवासी मकान व बाड़ा बना हुआ है व शेष भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके नियमन हेतु अपीलांट ने अधी0न्याया0 में नियमन हेतु आवेदन पत्र पेश कर रखा है । अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व अन्य सहखातेदारों को पक्षकारा बनाते हुए ग्राम अंसरी के खाता संख्या 300 पुराना–नया 224 के बाबत् मौके व काबिज पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार बंटवारा का दावा पेश कर रखा है । उक्त मौखिक बंटवारे में अपीलांट के हिस्से में खसरा नंबर 774, 1159, 1233, 1238 च 1239 आये है एवं उसी अनुसार अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट के मौखिक बंटवारे में आये हुए खसरा नंबर 1233 व 1159 में अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना सुने उक्त खसरा नंबर में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है । इस कारण अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को तत्समय जानकारी नही हो सकी थी जबकि अपीलांट खसरा नंबर 1233 व 1159 का जिसमें से रास्ता दिया गया है, का खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.7.2019 को पटवारी हल्का से हुई फिर दिनांक 19.7.2019 को जमाबंदी की नकल लेने गया तब तत्कालीन पटवारी हल्का से अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तब उसी दिन न्यायालय में वकील के माध्यम से नकले प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.7.2019 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 13.8.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों से यह पूर्णतया स्वंय सिद्ध था कि ग्राम अंसरी स्थित आराजी खसरा नंबर 1158, 1159, 1162, 1233, 1438 रेस्पो0 व परिवार व अपीलांट की सहखातेदारी की आराजी थी । इसके बावजूद रेस्पो0/प्रार्थीगण ने सहखातेदारों को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किये बिना प्रार्थना पत्र पेश किया था जो अपूर्ण होकर निरस्तनीय था । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व अन्य सहखातेदारों के मध्य हाल खाता संख्या 300 पुराना 224 के खसरा नंबर 1098, 1097, 1127, 1131, 1446, 1448, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1233, 1238, 1239, 1240, 19, 312/1472, 302/1473, 303, 494, 746, 750, 766, 767, 768, 769, 773, 774 को

लेकर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व अन्य सहखातेदारों के मध्य पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे के आधार पर बंटवारा करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष वाद विचाराधीन है । अतः उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी में से खसरा नंबर 774, 1159, 1233, 1232, 1239 अपीलांट के मौखिक बंटवारे में आये है और मौखिक बंटवारे के अनुसार ही अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व अन्य सहखातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है फिर भी रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में तथ्य छिपाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि सिवायचक खसरा संख्या 1234 के कुछ भाग पर अपीलांट का मकान व बाडा बना हुआ है व शेष भाग पर अपीलांट का कब्जा काश्त है जिसके बाबत् अपीलांट को समय–समय पर धारा 91 के नोटिस दिये जा रहे है । खसरा नंबर 1234 को अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर नियमन कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नियमन का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राज0काश्त0अधि0 251–ए के तहत उसी स्थिति में रास्ता दिया जाता है जब रेस्पो0 की खातेदारी आराजी पर जाने कलिए कोई रिकार्ड में रास्ता मौजूद नहीं हो जबकि उक्त प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व अपीलांट व अन्य सहखातेदारों को अपने खेतों पर जाने के लिए खेतों के दोनो तरफ पहले से ही रिकार्ड में रास्ता मौजूद है जिसका कथन हल्का पटवारी द्वारा पेश रिपोर्ट है । अपीलांट द्वारा पेश नक्शा ट्रेस से भी सिद्ध है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 व अपीलांट व अन्य सहखातेदारों को अपनी आराजी पर आने जाने के लिए नक्शा ट्रेस में पहले से ही रास्ता खसरा संख्या 1177 व 1110 खेतों के दोनों तरफ मौजूद है । प्रार्थीगण ने तथ्य छिपाकर नवीन रास्ते के आदेश प्राप्त किये है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2017 पेज 168 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की आराजियात में आवागमन कोई रास्ता मौजूद नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अपनी खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1230, 1231 एवं सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1232 में से होकर आवागमन करते है तथा उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि अपीलांट खसरा नंबर 1233, 1159 में दिये गये रास्ते का सहखातेदार है व सिवायचक खसरा नंबर 1234 के कुछ भाग पर अपीलांट का रहवासी मकान व बाड़ा बना हुआ है व शेष भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर 1231 व 1234 में

रास्ते के आदेश पारित किये है । खसरा नंबर 1231 व 1234 सिवायचक खाते की आराजी है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28.2.2018 के अनुसार खसरा नंबर 1231 व 1234 सिवायचक दर्ज है व खसरा नंबर 1233, 1159 जमाबंदी के अनुसार कैलाश, हरिसिंह खेता पि0 चन्द्रा, भागू, पीथा पि0 अन्ना, सज्जनसिंह पुत्र उगमा, गैना पुत्र बीरम, घीसी पत्नि बीरम, गोकल, शंकर पि0 आसू, जाति रावत सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है । उक्त रिपोर्ट में खसरा नंबर 1231 पर मकान बने होने की रिपोर्ट भी है । अपीलांट ने अपने अपील मीमों में खसरा नंबर 1231 के कुछ भाग पर रहवानी मकान एवं बाड़ा होने का कथन किया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अपीलांट भी विवादित आराजियात का सहखातेदार है किन्तु अधी0–न्याया0 के समक्ष पक्षकार नियुक्त नहीं किया जिससे अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सके थे । हम अपीलांट को न्यायहित में सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.5.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. जहां तक धारा 5 मियाद अधि0 का प्रश्न है चूंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन आदेश की निर्णय दिनांक को जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम अंसरी तहसील नसीराबाद के खाता संख्या नया 300 पुराना 224 के खसरा नंबर 1096, 1097, 1128, 1131, 1146, 1148, 1153, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1233, 1238, 1239, 1240, 19, 302/1472, 302/1473, 303, 494, 746, 750, 766, 767, 768, 769, 773, 774 कुल किता 32 कुल रकबा 7.5200 है0 के खातेदार कैलाशचंद पु चंद्रा 1/18 हिस्सा, गैना पुत्र बीरमा हिस्सा 1/12, गोकल पुत्र आसू हिस्सा 1/12, घीसी पत्नि बीरमा हिस्सा 1/12, पीथा पुत्र अन्ना हिस्सा 1/6, भागू पुत्र अन्ना हिस्सा 1/6, रेवता पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/18, शंकर पुत्र आसू हिस्सा 1/12, सज्जनसिंह पुत्र उगमा हिस्सा 1/6, हरिसिंह पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/18 दर्ज होकर सहखातेदार काश्तकार दर्ज है । इस प्रकार विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदार की आराजियात है जिसके संबंध में पक्षकारान के मध्य बंटवारे का वाद भी अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । अधी0न्याया0 के समक्ष सहखातेदार अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से अपीलांट अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं कर सके थे । अपीलांट विवादित आराजियात के सहखातेदार काश्तकार होने तथा आराजी खसरा नंबर 1231 के कुछ भाग पर अपीलांट के मकान एवं बाड़ा होने से हम न्यायहित में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना उचित समझते है। चूंकि अपीलांट विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार बनाये बिना प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का आदेश दिनांक 10.5.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात के समक्ष सहखातेदार काश्तकारों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर